# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 1724/2025 मोहनलाल बनाम दुर्गालाल<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 02/02/2026 | पत्रावली प्रस्तुत हुई \| अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित \| अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 1724/2025 एवं 1723/2025 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है \| अधिवक्ता उभयपक्ष की इकजाई मौखिक दोनों पत्रावलीयो पर सुनी गयी \| पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/02/2026 को पेश हो \| | |
| 06/02/2026 | आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई \| संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28/11/2022 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर को लूलाला की ढाणी, जाजोलाई की तलाई, पटवार हल्का आमेर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 3213, 3214, 3215, 3247, 3248, 3255, 3256 कुल किता 7 कुल रकबा 0.6400 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियम 18 से 21 (राजस्व मण्डल अजमेर) की पालना करते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उभयपक्षकारान की मौजूदगी में स्वयं मौके पर उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये \| जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/09/2024 पारित कर दिया गया \| जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28/11/2022 के विरुद्ध अपील संख्या 1723/2025 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/09/2024 के विरुद्ध अपील संख्या 1724/2025 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है \| जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की ईकजाई मौखिक बहस दोनों अपीलों पर सुनी गयी चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों द्वारा इकजाई रूप से बहस की गयी है \| अत: इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है \| निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे \|<br>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया \| उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावलीयां मय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत | |

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | मोहनलाल बनाम दुर्गालाल<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | होता है। विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28/11/2022 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17/09/2024 यथावत रखे जाते है एवं अपील संख्या 1724/2025 एवं 1723/2025 ख़ारिज की जाती है।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 06/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। | |